

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
भानवती बनाम रंगलाल

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.08.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 सं0 243/0.4400हे0, 288/0.4300हे0, 130/0.3900हे0, 131/0.3000हे0 वाके ग्राम नंगलीपठान तहसील किशनगढबास के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत् टी.आई जारी की जाती है।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 08.08.22 को पेश हो।</p> <p>08-08-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक.....12-9-22 को पेश हो।</p> <p>रीडर</p>	

12-9-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। बार द्वारा कुर्से खगन है।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक...18-10-22
को पेश हो।

रीडर

vt given from.
Def. No. 3. Shyria
By 31.9/22
12/9/22

18-10-22

वकील प्रार्थी उप०। वरिष्ठ जवाब एवं नामीय अंत
अप्रार्थीगण दिनांक 22-11-22 को पेश हैं।

22-11-22

वकील प्रार्थी उप०। प्रतिवादी सं०- 1, 3, 4 की
पेशे से चुका है। वरिष्ठ जवाब स्व रूपार समील
प्रतिवादीगण दिनांक 17-01-23 को पेश हैं।

17/1/23.

बहुलाय करि. उप०। वकील के निवेदन पर
ने वाद को "Not Proved" में खारिज
लिया है अतः प्रार्थना पत्र का चलने का
नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
नम्बर से कम धेर लेख भण्डार है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़वास (अलवर)